

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग—IV

PART—IV

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]	दिल्ली, बुधवार, मई 02, 2018/ वैशाख 12, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 509
No. 97]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 02, 2018/ VAISAKHA 12, 1940	[N.C.T.D. No. 509

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 मई, 2018

फा.सं. 22 (13)/2000/श.वि./पा.फाई./5029-5041.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 347क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा श्री राजकुमार चौहान, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 347क की उपधारा (1) के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पवन चोपड़ा, उप-सचिव (स्थानीय निकाय)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st May, 2018

No. 22/13/2000/UD/PF/5029-5041.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 347A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Mr. Raj Kumar Chauhan, an officer of the Delhi Higher Judicial Service, on deputation basis for a period of one

year with effect from the date of Notification, as Presiding Officer of Appellate Tribunal, constituted by the Government under sub-section (1) of section 347A of the said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.

PAWAN CHOPRA, Dy. Director (Local Bodies)

**RAKESH
SUKUL**

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.04
17:38:13 +05'30'